पत्र संख्या-विधि-4(1)-परिपत्र भाग-2-(10-11) 1318 /1011052. /वणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
दिनांक::लखनऊ:: 14 अक्टूबर, 2010

समस्त जोनलएडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:: अधिक जमा राशि को अगले टैक्स पीरियड के अपंजीकृत माल की खरीद पर देय क्रय कर के विरुद्ध समायोजित/रिफण्ड करने के सम्बन्ध में।

कतिपय व्यापारिक संगठनों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अपंजीकृत से खरीद करके फार्म-सी के विरुद्ध बिक्री करने पर कर दायित्व कम होने के कारण अपंजीकृत से की गई खरीद पर देय/जमा कर अधिक हो जाता है और अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के रुप में अगले माह में अग्रेनीत कर लिया जाता है। अगले माह में कतिपय कर निर्धारक अधिकारियों द्वारा अपंजीकृत से की गई खरीद पर देय कर का अग्रेनीत इनपुट टैक्स क्रेडिट में समायोजन न करने के बजाए उक्त पर देय कर को जमा करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार अग्रेनीत इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि प्रतिमाह बढ़ती जाती है और व्यापारियों की पूँजी अवरुद्ध हो जाने के कारण व्यापाार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है।

2- जिन सम्व्यवहारों में अपंजीकृत से खरीद करके फार्म-सी के विरुद्ध केन्द्रीय बिक्री की जाती है, वहाँ बिक्री पर कर दायित्व कम होने के कारण क्रय कर अधिक जमा हो जाता है। अधिक जमा राशि को अगले टैक्स पीरियड के देय कर के विरुद्ध समायोजित/रिफण्ड करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश परिपत्र संख्या-वैट अनुभाग-प्रचार-प्रसार/07-08/666/वाणिज्य कर, दिनांक 10 मार्च, 2008 द्वारा जारी किए गए हैं (प्रति संलग्न)।

3- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 15 (1) में संदेय कर की शुद्ध धनराशि और कर दायित्व से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के निरुपण का प्राविधान निम्नवत् किया गया है :-

(I) किसी कर अवधि के लिए, संदेय कर की शुद्ध धनराशि की संगणना निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करते हुए की जाएगी --

किसी अवधि के लिए संदेय कर की शुद्ध धनराशि = ऐसी अवधि के लिए संदेय कर की सकल धनराशि - उक्त अवधि के लिए अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि जहाँ--

(क) उक्त अवधि के लिए संदेय कर की सकल धनराशि निम्नलिखित धनराशियों का योग हो :-

(एक) कर अवधि के दौरान किए गए माल के विक्रय के आवर्त पर संदेय कर ;

(दो) कर अवधि के दौरान किए गए माल के क्रय के आवर्त पर संदेय कर ;

(तीन) धारा 6 के उपबन्धों के अधीन संदेय, यथास्थिति, उक्त अवधि के दौरान किए गए विक्रय के आवर्त पर कर या उक्त अवधि के दौरान देय होने वाली एकमुश्त धनराशि की किस्त ;

(चार) संदेय कर की कोई अन्य धनराशि ; और

(ख)उक्त अवधि के लिए अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि निम्नलिखित धनराशियों का योग हो --

(एक) उक्त अवधि के दौरान किए गए माल के क्रय के सम्बन्ध में दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट में से उत्तक्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट, यदि कोई हो, की धनराशि को घटाएँ ;

(दो) ठीक पूर्ववर्ती कर अवधि में अग्रेनीत इनपुट टैक्स क्रेडिट ;

----2

(तीन) ऐसे दिनांक को, जिससे व्यवहारी कर संदाय करने के लिए दायी हो गया हो, प्रारम्भिक स्टाक में धृत माल के सम्बन्ध में या पूँजी माल के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई किस्त ;

3- उपरोक्तानुसार अधिनियम में संदेय कर की सकल धनराशि में बिक्रय के आवर्त पर संदेय कर, क्रय के आवर्त पर संदेय कर, धारा 6 के उपबन्धों के अधीन संदेय कर, एकमुश्त धनराशि की किश्त, संदेय कर की कोई अन्य धनराशि तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि में क्रय के सम्बन्ध में दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक पूर्ववर्ती अवधि से या पूर्व अग्रेनीत इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्रारम्भिक स्टाक में धृत माल या पूँजी माल के क्रय के सम्बन्ध में टैक्स क्रेडिट की कोई किश्त को सम्मिलित करते हुए, किसी अवधि के लिए संदेय कर की शुद्ध धनराशि, ऐसी अवधि के लिए संदेय कर की सकल धनराशि में से उक्त अवधि के लिए अनुमन्य इनपुट क्रेडिट की सकल धनराशि को घटाकर गणना करने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार व्यापारी पर संदेय कर शुद्ध धनराशि घनात्मक होने पर ही उसे कोई राशि राजकीय कोषागार में जमा करनी है। इसका आशय यह है कि व्यापारी के खाते में इनपुट टैक्स क्रेडिट सकल देयता से अधिक है तो उन्हें कोई राशि जमा नहीं करनी है, चाहे वह खरीद पर देय कर ही क्यों न हो।

4- इस प्रकार अपंजीकृत से किये गये माल की खरीद पर देय कर के संबंध में धारा 13(4) में जुड़े इस प्राविधान " and purchase of tax on the proof of payment of tax on the turnover of purchase liable to tax " हेतु किसी टैक्स पीरियड के प्रारम्भ में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रेनीत है, उसका सत्यापन अभिलेखों से करके उसे proof of payment of tax मानकर उसकी राशि का लाभ भी व्यापारी को दिया जायेगा।

5- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में दी गई उपरोक्त विधिक व्यवस्था तथा अधिक जमा राशि को अगले टैक्स पीरियड के देय कर के विरुद्ध समायोजित/रिफण्ड करने के सम्बन्ध में पूर्व में ही उपरोक्त परिपत्र द्वारा विधिक स्थिति पूर्णतया उदाहरण सहित स्पष्ट की जा चुकी है। अधिनियम के उपरोक्त प्राविधानों से भी स्पष्ट है कि व्यापारी को देय इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें अपंजीकृत से की गई खरीद पर देय कर जिसे नगद न जमा करके इनपुट टैक्स क्रेडिट से सामायोजन किया गया है, शामिल होता है। अतः सकल देयता, जिसमें अपंजीकृत से की गई खरीद पर देय कर शामिल है और उसमें से सकल इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाकर यदि कोई शुद्ध कर की देयता नहीं बनती हो, तब ऐसी स्थिति में व्यापारी से कर जमा कराए जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

6- अतः उपरोक्तानुसार धारा 15 के प्राविधानों व मुख्यालय के परिपत्र संख्या-666, दिनांक 10-3-2008 के अनुसार कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा व्यापारिक संघों/अधिवक्ता संघों को अवगत करायें ताकि व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न न हो और प्राप्त होने वाला राजस्व जमा हो सके।

<u>संलग्नक::यथोक्त।</u>

13/10/10

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकनपत्र सं0 एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपिः- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

666 (23)

पत्र संख्या-वैट अनुभाग-प्रचार प्रसार/07-08/ / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वैट अनुभाग)

दिनांक::::लखनऊ::::मार्च 10, 2008

समस्त ज़ोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि जिन संव्यवहारों में अपंजीकृत से खरीद करके सी फार्म के विरूद्ध केन्द्रीय बिक्री की जाती है वहां पर बिक्री पर कर का दायित्व कम होने के कारण क्रय कर अधिक जमा हो जाता है क्योंकि केन्द्रीय बिक्री में शत प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक माह अपंजीकृत से खरीद पर देय क्रय कर जमा किया जाएगा और अधिक जमा धनराशि का रिफण्ड वर्ष समाप्ति के बाद नियमानुसार किया जाएगा। व्यापारियों का तर्क है कि शुद्ध संदेय कर (नेट टैक्स पेयेबल) कम होता है और जमा अधिक होता है। इस प्रकार विभाग के पास अधिक धनराशि प्रत्येक माह जमा होती रहेगी जिससे कार्यशील पूंजी कम हो जाएगी। परिणामस्वरूप व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः अनुरोध किया जा रहा है कि इस पर स्थिति स्पष्ट की जाए जिससे भ्रम दूर हो सके। अतः इस पर निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अंतर्गत इनपुट टैक्स की परिभाषा में अपंजीकृत से की गयी करयोग्य खरीद पर संदेय कर कोषागार में जमा करने पर इनपुट टैक्स की धनराशि में शामिल माना जाएगा। धारा-13(4) में निम्न प्राविधान है :-

" इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाई गयी नियमावली के किसी उपबन्ध में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में जिसके विषय में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा अनुमन्य है, इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट का अस्थाई रूप से उस दिनांक को दावा किया जा सकता है जिसको ऐसे माल से सम्बन्धित कर बीजक व्यवहारी को प्राप्त हो और जहां व्यवहारी स्वयं किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए ऐसे दिनांक को दायी है, जिसको देय कर की धनराशि उसके द्वारा देय कर के खातें व्यापारी द्वारा जमा कर दी जाती है। "

उपरोक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि अपंजीकृत से खरीद पर कर जमा करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है परन्तु सी फार्म से केन्द्रीय बिक्री करने पर कर का दायित्व कम होता है और खरीद पर कर की धनराशि जमा करने से निश्चित रूप से व्यापारी का अधिक कर जमा हो जाता है। अधिक धनराशि को व्यापारी अपने स्वीकृत कर के विरूद्ध भी समायोजित कर सकता है। चूंकि यह धनराशि कोषागार में जमा होती है तो संदेय क्रय कर के विरूद्ध समायोजित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। धारा-15(2) के स्पष्टीकरण में निम्न उल्लेख है:-

संदत्त कर की धनराशि का योग का तात्पर्य निम्नलिखित धनराशि के योग से है :-

(क) व्यवहारी द्वारा ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त जमा कर;

(ख) माल के किसी विक्रय के सम्बन्ध में धारा-34 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती किया गया कर, जहां ऐसा विक्रय ऐसी कर अवधि के दौरान किया जाये; और

(ग) ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त समायोजित प्रति संदाय

उपरोक्त विधिक स्थिति होते हुए इस बात में कोई विवाद नहीं रह जाता है कि यदि किसी व्यापारी का शुद्ध संदेय कर से अधिक कर जमा है और यह बात अभिलेखों से प्रमाणित है तो अधिक जमा राशि को अगले टैक्स पीरियड के देय कर के विरूद्ध समायोजित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। इस प्रकार यदि किसी व्यापारी का कर अधिक जमा है तो उसे अगले टैक्स पीरियड के देय क्रय कर के विरूद्ध समायोजित करना अविधिक नहीं है। इस तथ्य को निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है :-

यदि कोई व्यापारी माह जनवरी 2008 में रू0 100000/- के टिम्बर की खरीद अपंजीकृत से करता है, तो इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से रू0 12500/- क्रय कर देय होगा। इस टिम्बर की बिक्री सी फार्म के विरूद्ध केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत रू0 150000/- में करने पर 3 प्रतिशत की दर से 4500/- केन्द्रीय बिक्री कर बनता है। व्यापारी द्वारा नक्शे के साथ रू0 12500/- क्रय कर जमा कर दिया जाता है। शुद्ध संदेय कर और देय कर की गणना निम्न प्रकार की जाएगी:-

माह जनवरी 2008

कुल कर दायित्व	12500/- + 4500/- =	17000/-
आई0टी0सी0	12500/-	

शुद्ध संदेय कर	4500/-
<u>जमा का विवरण</u>	
जमा धनराशि	12500/-
घटाईये शुद्ध संदेय कर	4500/-
अधिक जमा	8000/-

<u>माह फरवरी 2008</u>

माह फरवरी में व्यापारी अपंजीकृत से रू0 200000/- के टिम्बर की खरीद करता है जिस पर रू0 25000/- क्रय कर देय होगा जिसकी बिक्री सी फार्म के विरूद्ध रू0 300000/- में करता है तो उस पर 3 प्रतिशत की दर से रू0 9000/- केन्द्रीय बिक्री कर देय होगा। कुल संदेय कर रू0 25000/- + 9000/- = 34000/- होता है। व्यापारी का रू0 8000/- माह जनवरी 2008 में अधिक जमा है, व्यापारी रू0 17000/- का चालान और जमा कर देता है तो कुल 25000/- कर जमा हो जाता है और वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकता है। कुल संदेय कर तथा जमा कर निम्न प्रकार होगा:-

कुल संदेय कर	34000/-
घटाईये आई0टी0सी0	25000/-
शुद्ध संदेय कर	9000/-
<u>जमा का विवरण</u>	
जमा कर का योग	17000 + 8000 = 25000
घटाईये शुद्ध संदेय कर	9000/-
अधिक जमा राशि	16000/-

इस प्रकार अधिक जमा कर रू0 16000/- को अगले टैक्स पीरियड में समायोजित किया जा सकता है। इसी प्रकार पूरे वर्ष में गणना होती रहेगी और वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अधिक जमा निकलती है तो नियमानुसार रिफण्ड / समायोजन किया जाएगा। "

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को तथा व्यापारिक संघों, अधिवक्ता सघों आदि को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि व्यापारियों का उत्पीड़न न हो और प्राप्त होने वाला राजस्व नियमानुसार जमा होता रहे।

10.3.08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक - उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में)।
4. अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. अपर निदेशक/सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
7. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
8. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
9. प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
10. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
11. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू [illegible] आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
12. विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग [illegible]।
13. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट [illegible] कार्य वाणिज्य कर, गाजियाबाद।

14. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, लखनऊ / इलाहाबाद ।
15. मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियाँ ।
16. वैट अनुभाग को 100 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियाँ ।
17. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
18. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
19. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ ।
20. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ ।
21. श्री श्याम बिहारी मिश्रा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर
22. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
23. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ ।
24. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर ।
25. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 2/210, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
26. पी एच डी चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ ।
27. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
28. आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
29. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
30. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
31. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
32. शिव कुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, उार प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।
33. श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
34. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
35. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
36. डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
37. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0, 235, सीताराम, आजमगढ़ ।
38. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुंज गली, चौक, वाराणसी ।
39. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
40. श्री पी0एस0जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोयडा ।
41. श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर ।
42. श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
43. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद ।
44. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
45. इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
46. संयोजक, टैक्सेशियो एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
47. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाउस, आगरा ।
48. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर ।
49. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
50. श्री दिनेश आरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर ।

51. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
52. श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।
53. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल, (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ।
54. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
55. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
56. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
57. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097।
58. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ।
59. श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।

10-3.08

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

12.10.10